न्यायालयः-श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म० प्र०

केम्प सागर

मुलू उर्फ मूलचंद उम्र 50 साल पिता घसीटे राय सा० छपरी तहसील बन्डा जिला सागर ------- --------अपीलार्थी

//बनाम//

म०प्र० शासन -------- --------प्रतिअपीलार्थी

प्र० क्र० R-1765/II-12 ता०प्रस्तुतः- 17/10/2012

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) म० प्र० भू० रा० सं० 1959

आवेदक की ओर से प्रार्थना हैः-

1- यह कि उक्त प्रकरण श्रीमान जी के न्यायालय कैम्प सागर में विचारण हेतु लंबित चल रहा था, जिसमे पेशी दिनांक 28/9/2012 को पेशी नियत थी।

2- यहकि नियत दिनांक 28/9/12 को अपीलार्थी की अचानक तबियत खराब हो जाने से वह ना तो पेशी पर हाजिर हो सका ना ही अपने अधिवक्ता को सूचित कर सका जिससे अपीलार्थी की गैर हाजिरी में उक्त प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया है।

3- यहकि अपीलार्थी अपना उक्त प्रकरण पुनः नम्बर पर काईम करवाना चाहता है, जो किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

4- यह कि यदि अपीलार्थी का उक्त प्रकरण पुनः नम्वर पर कायम नहीं किया गया तो उसे अपूर्णनीय क्षति का सामना करना पड़ सकता है। जिससे उक्त प्रकरण पुनः नम्वर कायम कर, सुनवायी का अवसर दिया जाना न्यायहितमें आवश्यक है।

अतः-श्रीमान जी से निवेदन है कि आवेदक/अपीलार्थी का उक्त प्रकरण पुनः ~~xxxxxx~~ नम्वर पर कायम कर सुनवायी का अवसर दिये जाने की कृपा करें।

बन्डा

दिनांकः- 17/10/12

आवेदक/अपीलार्थी

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो० 3862-अ/12 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/3/16	आवेदक अभि० द्वारा जबसे यह प्रकरण दायर किया गया है तब से वह इस प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः प्रकरण में रुचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	

[कृ. प. उ.